



सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)

(उत्तरांचल अधिनियम)

देहरादून, बुधवार, 09 फरवरी, 2005 ई0

माघ 20, 1926 शक सम्वत्

उत्तरांचल शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 431/विधायी एवं संसदीय कार्य/2005

देहरादून, 09 फरवरी, 2005

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तरांचल विधान सभा द्वारा पारित उत्तरांचल (विधान सभा सदस्यों, मंत्रियों तथा अधिकारियों की उपलब्धियाँ और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2005 पर दिनांक 01-02-2005 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तरांचल अधिनियम संख्या 13, सन् 2005 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तरांचल (विधान सभा सदस्यों, मंत्रियों तथा अधिकारियों की उपलब्धियाँ और पेंशन) (संशोधन) अधिनियम, 2005

(अधिनियम संख्या 13, सन् 2005)

(जैसा उत्तरांचल विधान सभा द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियाँ और पेंशन) अधिनियम, 1980, उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अधिकारियों के वेतन तथा भत्ते) अधिनियम, 1952, उत्तर प्रदेश मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम, 1981 (यथा उत्तरांचल में लागू) तथा उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल

(सदस्यों की उपलब्धियाँ और पेंशन) (उत्तरांचल संशोधन) अधिनियम, 2001 का उत्तरांचल के परिप्रेक्ष्य में अग्रेतर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के पचपनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

अध्याय—एक

प्रारम्भिक

- संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ
- (1) यह अधिनियम उत्तरांचल (विधान सभा सदस्यों, मंत्रियों तथा अधिकारियों की उपलब्धियाँ और पेंशन) (संशोधन) अधिनियम, 2005 कहा जायेगा।
 - (2) यह पहली अप्रैल, 2004 को प्रवृत्त होगा।

अध्याय—दो

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23, सन् 1980 की धारा 3 का संशोधन

- उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियाँ और पेंशन अधिनियम, 1980 की, जिसे इस अध्याय में आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 3 में उपधारा (1) में शब्द 'दो हजार रुपये' के स्थान पर शब्द 'तीन हजार रुपये' रख दिये जायेंगे।
- धारा 4 का संशोधन
3. मूल अधिनियम की धारा 4 में शब्द 'पाँच हजार रुपये' के स्थान पर शब्द 'सात हजार पाँच सौ रुपये' रख दिये जायेंगे।
- धारा 5 का संशोधन
4. मूल अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) में—
"शब्द 'दस हजार रुपये' के स्थान पर शब्द 'बीस हजार रुपये' रख दिये जायेंगे।"
- धारा 14 का संशोधन
5. मूल अधिनियम की धारा 14 के खण्ड (घ) के द्वितीय परन्तुक में शब्द 'दो से अधिक सदस्य' के स्थान पर शब्द 'पाँच से अधिक सदस्य' रख दिये जायेंगे।
- धारा 15 का संशोधन
6. मूल अधिनियम की धारा 15 में—
(क) उपधारा (1) में शब्द 'दो सौ पचास रुपये' के स्थान पर शब्द 'तीन सौ रुपये' रख दिये जायेंगे;
(ख) उपधारा (2) में शब्द 'दो सौ रुपये' के स्थान पर शब्द 'दो सौ पचास रुपये' रख दिये जायेंगे;
(ग) उपधारा (3) में शब्द 'दो सौ रुपये' के स्थान पर शब्द 'दो सौ पचास रुपये' रख दिये जायेंगे।
- धारा 15-क का संशोधन
7. मूल अधिनियम की धारा 15-क में शब्द 'एक हजार रुपये' के स्थान पर शब्द 'दो हजार पाँच सौ रुपये' रख दिये जायेंगे।
- धारा 18-क का संशोधन
8. मूल अधिनियम की धारा 18-क के खण्ड (क) में शब्द 'एक हजार रुपये' के स्थान पर शब्द 'दो हजार रुपये' रख दिये जायेंगे।
- धारा 24 का संशोधन
9. मूल अधिनियम की धारा 24 में—
(क) उपधारा (1) में शब्द 'एक हजार पाँच सौ रुपये' के स्थान पर शब्द 'दो हजार रुपये' रख दिये जायेंगे;
(ख) परन्तुक में शब्द 'दो सौ रुपये' के स्थान पर शब्द 'दो सौ पचास रुपये' रख दिये जायेंगे;

(ग) प्रथम परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जायेगा.

अर्थात्:-

“परन्तु यह और कि विधान सभा भंग होने की स्थिति में विधान सभा के भंग होने की तिथि से नयी विधान सभा के प्रथम उपवेशन तक की अवधि की गणना ऐसे सदस्य के पेंशन प्रयोजनों के लिये की जायेगी जो भंग विधान सभा का अध्यक्ष रहा हो और उक्त अवधि के दौरान इस रूप में अपने पद पर आसीन रहा हो।”

(घ) उपर्युक्त परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण बढ़ा दिया जायेगा.

अर्थात्:-

“स्पष्टीकरण-जहाँ किसी व्यक्ति ने सभा के सदस्य के रूप में छः माह या उससे अधिक किन्तु एक वर्ष से कम अवधि के लिये कार्य किया हो, वहाँ इस धारा के प्रयोजनार्थ यह समझा जायेगा कि उस व्यक्ति ने एक वर्ष के लिये सदस्य के रूप में कार्य किया है।”

अध्याय-तीन

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अधिकारियों के वेतन तथा भत्ते)

अधिनियम, 1952 (यथा उत्तरांचल में प्रवृत्त) का संशोधन

10. उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अधिकारियों के वेतन तथा भत्ते) अधिनियम, 1952 की, जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 2 की उपधारा (1) में शब्द 'दो हजार पाँच सौ रुपये' के स्थान पर शब्द 'पाँच हजार रुपये' रख दिये जायेंगे। धारा 2 का संशोधन
11. मूल अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (3) में शब्द 'दो हजार पाँच सौ रुपये' के स्थान पर शब्द 'पाँच हजार रुपये' रख दिये जायेंगे। धारा 4 का संशोधन

अध्याय-चार

उत्तर प्रदेश मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम, 1981

(यथा उत्तरांचल में प्रवृत्त) का संशोधन

12. उत्तर प्रदेश मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम, 1981 जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 3 में- धारा 3 का संशोधन
 - (क) उपधारा (1) में शब्द 'दो हजार पाँच सौ रुपये' के स्थान पर शब्द 'पाँच हजार रुपये' रख दिये जायेंगे;
 - (ख) उपधारा (2) में शब्द 'दो हजार दो सौ पच्चीस रुपये' के स्थान पर शब्द 'चार हजार रुपये' रख दिये जायेंगे।
13. मूल अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) में शब्द 'उस दर पर और जो विहित की जाय' के स्थान पर शब्द 'रुपये 500 प्रतिदिन जो एक माह में रुपये 15000 से अधिक नहीं होगी' रख दिये जायेंगे। धारा 6 का संशोधन

अध्याय-पाँच

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियाँ और पेंशन)

(उत्तरांचल संशोधन) अधिनियम, 2001 जिसे आगे मूल अधिनियम

कहा गया है, की धारा 3 में संशोधन

14. मूल अधिनियम की धारा 3 में-

“शब्द 'साठ हजार रुपये के रेलवे कूपन के बराबर की धनराशि डीजल व्यय

हेतु तथा शेष धनराशि तैंतीस हजार रुपये के रेलवे कूपन' के स्थान पर शब्द 'छियानवे हजार रुपये के रेलवे कूपन के बराबर की धनराशि डीजल व्यय हेतु तथा शेष धनराशि चौबीस हजार रुपये के रेलवे कूपन' रख दिये जायेंगे।"

आज्ञा से,

आई० जे० मल्होत्रा,
प्रमुख सचिव।

No. 431/Vidhayee & Sansadiya Karya/2005

Dated Dehradun, February 09, 2005

NOTIFICATION

Miscellaneous

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttaranchal (Emoluments and Pension of the State Assembly Members, Ministers and Officers) (Amendment) Bill, 2005 (Uttaranchal Adhiniyam Sankhya 13 of 2005).

As passed by the Uttaranchal Legislative Assembly and assented to by the Governor on February 01, 2005.

THE UTTARANCHAL (EMOLUMENTS AND PENSION OF THE STATE ASSEMBLY
MEMBERS, MINISTERS AND OFFICERS) (AMENDMENT) ACT, 2005
(Act No. 13 of 2005)

(As passed by the Uttaranchal State Assembly)

Further to amend the Uttar Pradesh State Legislature (Members Emoluments and Pension) Act, 1980, the Uttar Pradesh State Legislature (Officers Salaries and Allowances) Act, 1952, the Uttar Pradesh Ministers (Salaries, Allowances and Miscellaneous Provision) Act, 1981 (as applicable in the Uttaranchal) and The Uttar Pradesh State Legislature (Member's Emoluments and Pension (Uttaranchal Amendment) Act, 2001.

AN

ACT

It is HEREBY enacted in the Fifty-Fifth Year of the Republic of India as follows :-

CHAPTER-I

PRELIMINARY

Short title and
Commencement

- (1) This Act may be called The Uttaranchal (Emoluments and Pension of the State Assembly Members, Ministers and Officers) (Amendment) Act, 2005.
- (2) it shall come into force with effect from April 01, 2004

CHAPTER-II

AMENDMENT IN SECTION 3 OF THE UTTAR PRADESH STATE
LEGISLATURE ACT NO. 23 OF 1980

- In section 3 of the Uttar Pradesh State Legislature (Members Emoluments and Pension) Act, 1980, hereinafter referred to in this Chapter as the principal Act, in sub-section (1) for the words 'Two thousand rupees' the words 'Three thousand rupees' shall be substituted.

3. In section 4 of the principal Act for the words 'Five thousand rupees' the words 'Seven thousand five hundred rupees' shall be substituted. Amendment of Section 4
4. In sub-section (2) of section 5 of the principal Act-- Amendment of Section 5
 - * "For the words 'Ten thousand rupees' the words 'Twenty thousand rupees' shall be substituted."
5. In section 14 of the principal Act, in clause (d), in the second proviso for the words 'Two members' the words 'Five members' shall be substituted. Amendment of Section 14
6. In section 15 of the principal Act-- Amendment of Section 15
 - (a) In sub-section (1) for the words 'Two hundred fifty rupees' the words 'Three hundred rupees' shall be substituted;
 - (b) In sub section (2) for the words 'two hundred rupees' the words 'two hundred fifty rupees' shall be substituted;
 - (c) In sub-section (3) for the words 'Two hundred rupees' the words 'Two hundred fifty rupees' shall be substituted.
7. In section 15-A of the principal Act, for the words 'One thousand rupees' the words 'Two thousand five hundred rupees' shall be substituted. Amendment of Section 15-A
8. In section 18-A of the principal Act, in clause (a) for the words 'One thousand rupees' the words 'Two thousand rupees' shall be substituted. Amendment of Section 18-A
9. In section 24 of the principal Act-- Amendment of Section 24
 - (a) In sub-section (1) for the words 'One thousand five hundred rupees' the words 'Two thousand rupees' shall be substituted;
 - (b) In the proviso for the words 'Two hundred rupees' the words 'Two hundred fifty rupees' shall be substituted;
 - (c) After the first proviso the following proviso shall be inserted, namely:--
 "Provided further that in the event of dissolution of Assembly, the period from the date of dissolution of Assembly, till the date of first meeting who has been the speaker of the dissolved Assembly and has continued to be in office as such during the said period."
 - (d) After the aforesaid proviso the following explanation shall be inserted, namely:--
 "Explanation--Where a person has served as a member of the Assembly for the term of six months and above and has not completed one year then such person shall for the purpose of calculating the pension, be deemed to have served as a member for the year."

CHAPTER--III

AMENDMENT OF THE UTTAR PRADESH STATE LEGISLATURE (OFFICERS SALARIES AND ALLOWANCES) ACT, 1952 (As applicable in the Uttaranchal)

10. In section 2 of the Uttar Pradesh State Legislature (Officers Salaries and Allowances) Act, 1952, hereinafter in this Chapter referred to as the principal Act, in sub-section (1) for the words 'Two thousand and five hundred rupees' the words 'Five thousand rupees' shall be substituted. Amendment of Section 2
11. In section 4 of the principal Act, in sub-section (3) for the words 'Two thousand and five hundred rupees' the words 'Five thousand rupees' shall be substituted. Amendment of Section 4

CHAPTER-IV

AMENDMENT OF THE UTTAR PRADESH MINISTERS (SALARIES,
ALLOWANCES AND MISCELLANEOUS PROVISION) ACT, 1981

(As applicable in the Uttaranchal)

- Amendment of Section 3 12. In section 3 of the Uttar Pradesh Ministers (Salaries, Allowances and Miscellaneous Provisions) Act, 1981 herein referred to as principal Act--
- (a) In sub-section (1) for the words 'Two thousand five hundred rupees' the words 'Five thousand rupees' shall be substituted;
- (b) In sub-section (2) for the words 'Two thousand two hundred and twenty five rupees' the words 'Four thousand rupees' shall be substituted.
- Amendment of Section 6 13. In section 6 of the principal Act, in sub-section (1) for the words 'at such rates and upon such conditions as may be prescribed' the words 'Five hundred rupees per day, which shall not exceed Fifteen thousand rupees in a month' shall be substituted.

CHAPTER-V

AMENDMENT OF 3 OF THE UTTAR PRADESH STATE LEGISLATURE
(MEMBERS EMOLUMENTS AND PENSION) (UTTARANCHAL AMENDMENT)
ACT, 2001, HERINAFTER REFERRED AS PRINCIPAL ACT

14. In the sub-section (1) of section 3 of the principal Act--

"For the words 'Expenses of diesel equivalent to the amount of Railway Coupon for Sixty thousand rupees and the balance Thirty three thousand as Railway Coupon' the words 'Expenses of diesel equivalent to the amount of Railway Coupon for Ninety six thousand rupees and the balance Twenty four thousand rupees a Railway Coupon' shall be substituted."

By Order,

I. J. MALHOTRA,
Principal Secretary.